

राजस्थान सरकार  
कृषि आयुक्तालय, पंत कृषि भवन, जयपुर

क्रमांक :प.3(iv)/आ.कृ./लेखा/भौ.स.प्र./2020-21/


दिनांक :

संयुक्त निदेशक, कृषि (वि.)  
2003-जयपुर, भरतपुर, नीलगाड़ा,  
बीकानेर, श्रीगंगानगर, जोधपुर,  
जालौर, कोटा, उदयपुर, सीकर

निदेशक (कृषि) /  
राज्य कृषि प्रशिक्षण केंद्र (जयपुर) जयपुर  
संयुक्त निदेशक-  
श्रीरमेशी कृषि शोध परी, प्रमो. / राज्य जैव उर्वरक /  
शस्त्र (जो.उ.प्र.) / शु.नि. / मी.क.माधी / बीज  
प्रमो. प्रमो. / दुग्धशुद्धि - जयपुर

विषय : निरीक्षण विभाग के अपने अधीनस्थ कार्यालयों की भौतिक सत्यापन प्रतिवेदनों के बकाया आक्षेपों की अनुपालना अपने स्तर पर प्राप्त कर अपनी टिप्पणी सहित सीधे ही निदेशक, निरीक्षण विभाग को भिजवाने बाबत।

उपर्युक्त विषयान्तर्गत निर्देशित किया जाता है कि अपने अधीन कार्यालयों की भौतिक सत्यापन प्रतिवेदनों के बकाया आक्षेपों की प्रथम अनुपालना की नवीनतम स्थिति के साथ ठोस एवं सारगर्भित अनुपालनायें मय साक्ष्यों/तथ्यों/दस्तावेजों के प्रमाणित प्रतियाँ अपने स्तर पर प्राप्त कर आपकी टिप्पणी सहित सीधे ही निदेशक, निरीक्षण विभाग को भिजवाया जाना सुनिश्चित करें तथा प्रत्येक माह नवीनतम स्थिति से अधोहस्ताक्षरकर्ता को भी अवगत करावें।


  
(सिरमौर मीना)

वित्तीय सलाहकार, कृषि

क्रमांक :प.3(iv)/आ.कृ./लेखा/भौ.स.प्र./2020-21/ 2351-72 दिनांक : 8/7/20

प्रतिलिपि : सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. निजी सचिव, श्रीमान आयुक्त महोदय, कृषि विभाग, राज0 जयपुर।
2. अतिरिक्त निदेशक, कृषि (अनुसंधान) -नोडल अधिकारी (पी.ए.सी./सी.ए.जी.) मुख्यालय जयपुर।
3. संयुक्त निदेशक, कृषि (प्रशासन), मुख्यालय जयपुर।
4. एसीपी को भिजवाकर लेख है कि उक्त पत्र को कृषि विभाग की वेबसाइट पर अपलोड करावें।

  
वित्तीय सलाहकार, कृषि

Chitra  
20/7/20